तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	29.11.19 अभिभाषक निगरानीकर्ता उपस्थित। दिनांक 28.11.19 को बहस सुनी गयी। बहस के समय अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित नहीं आये। अभिभाषक निगरानीकर्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि निगरानीकर्ता , गैरनिगरानीकार सं 2 व महावीर के नाम भूखण्ड सं0 बी–87 का पटटा 23.10.75 को जारी है। अप्राथी सं0 3 ने अप्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत फतहगढ के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रश्नगत भूखण्ड अपने अकेले के नाम 16.1.06 को करवा लिया। इस संबंध में आक्षेपित इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों यथा निगरानीदार को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया तथा समस्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गयी है। अप्रार्थी सं0 3 अकेले के नाम भूखण्ड करने से प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए प्रश्नगत इन्तकाल निरस्त किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत फतहगढ के मूल इन्तकाल रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसकी क्रम सं0 87 पर सहीराम पुत्र श्योकरण, ओम पुत्र सहीराम, महावीर पुत्र सहीराम के नाम 500 दरगज का भूखण्ड होना दर्ज है। रजिस्टर में अंकित नोट के अनुसार प्रस्ताव सं0 शून्य दिनांक शून्य सहीराम पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार हल्फीया बयान किया कि बी–87 प्लान श्री विनोद कुमार पुत्र सहीराम के पक्ष में कर दिया है। बी–87 का अमल दरामद विनोद कुमार के नाम किया। दिनांक 16.01.2006 को कर दिया है। इस नोट से स्पष्ट होता है कि भूखण्ड सहीराम के अलावा ओम पुत्र सहीराम व महावीर पुत्र सहीराम के नाम भी है परन्तु ओम व महावीर के संबंध में उक्त नोट में कुछ भी अंकित नहीं किया है जिससे स्पष्ट होता है कि ओम व महावीर को इस संबंध में कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार संयुक्त मालिकानी में सभी पक्षकारान को विधिवत सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत फतहगढ द्वारा दिनांक 16.01.2006 को सहीराम पुत्र श्योकरण, ओम पुत्र सहीराम व महावीर	

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पुत्र सहीराम के नाम का भूखण्ड विनोद कुमार के नाम किये जाने में कानूनी भूल की है।

अतः ग्राम पंचायत फतहगढ द्वारा दिनांक 16.01.2006 को सहीराम पुत्र श्योकरण, ओम पुत्र सहीराम व महावीर पुत्र सहीराम के नाम का भूखण्ड विनोद कुमार के नाम किये गये इन्तकाल को निरस्त किया जाकर प्रकरण पंचायत समिति हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भूखण्ड के सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति पंचायत समिति हनुमानगढ को भेजी जावे तथा एक प्रति ग्राम पंचायत को उनके रिकार्ड सहित भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner